



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018  
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:–पं.03(22)RSSB / स्टोर / Printer cum Photostat / 2024–25/६५

जयपुर, दिनांक:– ०३/०३/२०२५

ई-निविदा सूचना (2024-25/६५)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा नवीन Heavy Duty Printer cum Photostat & HDD/SSD क्रय (अनुमानित लागत 24.35 लाख रुपये) की आपूर्ति किये जाने हेतु सीलबन्ध निविदा इच्छुक/पात्र निविदादाताओं से आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं विभागीय वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाईट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(डॉ. बी.सी. बधाल)  
सचिव

Signature valid



Digitally signed by Brij Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.06 10:58:06 IST  
Reason: Approved

Address : State Institute of Agriculture Management premises, Durgapura, Jaipur - 302018.



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

## Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) Tel. : 0141-2722520

निविदा प्रपत्र नं.: खुली निविदा सूचना (2024-25/५०)  
निविदा की अनुमानित राशि : 24.35 लाख  
RISL प्रोसेसिंग शुल्क : 500/-  
निविदा प्रपत्र का मूल्य : 1000/-  
बोली प्रतिभूति राशि : 48,700/-

बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : ०३/०३/२०२५  
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि : १२/०३/२०२५  
अपराह्न : 1.00 बजे तक  
बिड खोलने की तिथि : १२/०३/२०२५  
अपराह्न : 03.00 बजे

### तकनीकी निविदा

#### Supply of Heavy Duty Printer cum Photostat & HDD/SSD for Office use के लिये जावदा

- बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : ..... दूरभाष/मोबाईल नंबर : ..... डाक का पता : .....  
बैंक खाता संख्या : ..... बैंक का नाम : .....  
शाखा का नाम : ..... IFSC Code : .....
- किसको संबोधित की गई : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- संदर्भ – निविदा सूचना संख्या : 2024-25/५० दिनांक : .....
- बिड शुल्क की राशि रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) दिनांक ..... ई-ग्रास चालान संख्या ..... एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र) दिनांक ..... ई-ग्रास चालान संख्या ..... के द्वारा सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम जमा करा दी गयी है/संलग्न है।
- हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2024-25/५० दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाणमें हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
- फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है।
- वित्तीय निविदा में उद्दृत की गयी दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि के पेटे रु. 48,700/- (रु. अड़तालीस हजार सात सौ मात्र) का ई-ग्रास चालान संख्या ..... दिनांक ..... जो कि सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम बनवाया है, संलग्न है।

#### तकनीकी निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक शर्तें:-

- GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं. ..... पेन नंबर ..... की प्रति संलग्न।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उद्योग विभाग द्वारा जारी Enterpreneurial Memorandum Part II/Memorandum, Registration certificate/Udhyog aadhar की प्रमाणित प्रति यदि हो तो।
- निविदादाता/फर्म द्वारा केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/अधोरिटी परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में Heavy Duty Printer cum Photostat & HDD/SSD की आपूर्ति सम्बन्धी कार्यानुभव का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें अथवा कार्यादेश की प्रति के साथ कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- Authorised Dealer/Distributor प्रमाण पत्र (MAF) की वैध प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता/फर्म का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर जो कि प्रतिवर्ष 13 लाख रुपये से कम न हो एवं सी.ए. से प्रमाणित धनात्मक Net Worth की प्रति संलग्न करनी होगी।
- बिड शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का ई-ग्रास चालान संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- Heavy Duty Printer cum Photostat & HDD/SSD का तकनीकी विवरण संलग्नक-एफ पर है।**
- बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
- निविदादाता/फर्म द्वारा गत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट्स की सी.ए. से प्रमाणित प्रति एवं आयकर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।

**तकनीकी निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक शर्तें**



Digitally signed by **Badhal**  
Designation : **Secretary**  
Date: 2025.03.06 10:59:14 IST  
Reason: Approved



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) Tel. : 0141-2722520

## खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

\*\*टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

- निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ई-प्रोक पोर्टल पर निविदा अपलोड करनी होगी व वित्तीय निविदा BOQ में प्रस्तुत करनी होगी।
- BOQ में अंकित सभी आईटमों की दरों का समग्र मूल्यांकन कर सर्वाधिक लाभदायी/न्यूनतम बोलीदाता से RTPP Rules 69 के अन्तर्गत नेगोसिएशन किया जा सकता है।
- 'अधिकृत डीलरों (Authorised dealers) द्वारा निविदायें:- निविदायें services (सेवाओं) के पंजीकृत अनुमती फर्मों/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा पत्र (Annexure - E) प्रस्तुत करेंगे।
- (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।  
(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समर्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी।
- तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा। वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं/नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- बोर्ड कार्यालय में साफ सफाई संबंधी कार्य हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होंगे।
- बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार/पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- RTPP ACT 2012 Section 2(13) के अनुसार "उपापन या लोक उपापन" से किसी उपापन संस्था द्वारा चाहे प्रत्यक्षः या किसी अभिकरण, जिसके साथ उपापन सेवाओं के लिए कोई संविदा की गयी है, के माध्यम से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अधिनिर्णय सहित संकर्म, माल या सेवाओं के क्रय, पटटे अनुज्ञाप्ति या अन्यथा द्वारा अर्जन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसमें प्रतिफल के बिना अर्जन सम्मिलित नहीं है, और उपाप्त करना या उपाप्त का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा।
- GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।
- निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। **Signature valid** पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। **Designation : Secretary**  
**Date: 2025.03.03 10:59:14 IST**  
**Reason: Approved**

11. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
12. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्भूत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समर्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।
13. **विधि मान्यता** :— निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
14. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
15. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारांश भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

**16. विनिर्देश :-**

- (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
- गारंटी/गारंटी खण्ड:-** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णयक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुयें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अधियों में सूची पर्याप्त हो, तो उक्तले और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अधियों में वैसा प्रयोग जाये, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता अपनी गारंटी के अधियों में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की उपकरण के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

**Signature valid**

Designation : Secretary  
Date: 2025.03.08 10:59:14 IST  
Reason: Approved

- v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परियर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

### 17. निरीक्षण :-

- i. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
  - ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुये हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

### 18. रद्द करना :-

- i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
  - ii. तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

19. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

20. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दग्दी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

21. प्रदाय हेतु सविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

22. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

23. (1) **सुपुर्दग्दी अवधि :** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-

**(2) परिमाण (Quantity)** में परिवर्तन का अधिकारः—

Digitally signed by Bhag Chand  
Signature का क्रमांक विनाशक द्वारा उपर्युक्त नहीं  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.09 10:59:14 IST  
Reason: Approved

Page 4 of 20

वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।

- (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी:-
- संकर्मों (Works) की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
  - मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services) के मूल्य का 50 प्रतिशत।
- (3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

#### 24. बोली प्रतिभूति राशि :

- निविदादाता को निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क एवं निर्धारित बिड़ प्रतिभूति राशि ऑनलाइन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी जो सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय हो। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क एवं बिड़ प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राककलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.50% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
- बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
- बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की दोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।
- उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेग। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
- बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई-ग्रास(egras) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
- बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गमी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गमी द्वारा जारी की जायेगी।
- यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गमी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की उत्तराधिकारी बैंक लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनरोध तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
- बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की विधिमान्यता विधिमान्यता वैक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गमी या विधिमान्यता 2025 मित्र 03 10:59 बजे 4 बजे की Reason: Approved

- स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गमी या, यथारिथ्ति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
10. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
  11. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में सम्पत्ति (Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
    - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;
    - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
    - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;
    - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है;
    - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
  12. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
  13. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:-
    - a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,
    - b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर,
    - c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
    - d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अंतिम समय—सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

**25. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-**

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अन्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकूत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकती है।
3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक से प्रत्युत्तर का लायेगा—
  - i. “ई—ग्रास (egras) के माध्यम से जमा”
  - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर *Digitally signed by Bhag Chand Badhal*
  - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी *Sachetan* प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी को *Date: 2025-03-03 10:59:14 IST* सुसंगत Reason: Approved

नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

- iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी / गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय / समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

**प्रतिभूति निष्केप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित जौ में समपहृत किया जा सकेगा :-

  - जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  - जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  - प्रतिभूति निष्केप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा।

इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

26. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।  
 (2) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।  
 (3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।  
 (4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

27. बीमा :-

1. सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

## 28. भूगतान :-

1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।

2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सपर्दी भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में साक्षात् वित्तीय एक लखा रुपयों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रधान लिखिताना सेक्रेटरी किये जायेंगे।

**Signature valid**

जापा समाज की सर्वांगी ले भगतान  
Digitally signed by Bhagat Chand  
संसद बहुमतीय एलखा अमो के अनुसार<sup>Digitally signed by Bhagat Chand</sup>  
प्रधानमंत्री द्वारा Sezra किये जायेंगे।

Date: 2025.03.03 10:59:14 IST

Reason: Approved

3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
  4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

29. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) **परिसमापित नुकसानी (Liquidated damages) :-** परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में बढ़िया करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	$2\frac{1}{2}\%$
एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये	5%
आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये	$7\frac{1}{2}\%$
विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%

- प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
  - परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
  - यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाइ पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
  - यदि माल की सप्लाइ करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

30. **वसूलियाँ :** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

31. अनुबंध की अवधि एक साल तक या राज्य सरकार द्वारा स्थाई भर्ती होने तक जो भी पहले हो, तक रहेगी। अनुबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि RTPP Act 2012 व RTPP Rules 2013 के नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।

32. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

34. बोर्ड किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, रखीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार दिए गए हैं।

35. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:-

Signature valid  
Digitally signed by Rakesh Chandra  
Date: 11/01/2024 Location: [Redacted]

ा को स्वीकार करने या एक फर्म / सप्लाई ब्राउनिंग को अपने खाली अंदरासीत रखने के लिए।

Digitally signed by Renu Chandra  
Date: 2022.08.10 Time: 10:45:20

Digitally signed by Bhagat Chand  
Bansal की एक अनुप्रयोग प्रति।

Designation: Secretary एवं उसका

क्रीता, २० अप्रैल १९३३  
Bengal Appendix

4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
36. अनुबंधित फर्म व सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के मध्य उपरोक्त निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण मध्यस्थ (Arbitrator) अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा। मध्यस्थ अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
37. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
38. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
39. बिड़ प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
40. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
41. निविदा की शर्तों एवं RTPP Act 2012 & Rule 2013 में विरोधाभास होने की स्थिति में RTPP Act 2012 & Rule 2013 ही अंतिम होगा।
42. अनुबंधित फर्म को अनुबंध कार्य स्वयं ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को अनुबंध सबलेट नहीं करेगा। यदि अनुबंधित फर्म किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलेट करती है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा तथा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
43. किसी भी निविदा अनुबंध को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड को होगा।
44. अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर, अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने या अनुबंधित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को होगा।
45. निविदा एवं अनुबंध पत्र में वर्णित शास्त्रियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नहीं लगाने का पूर्ण अधिकार सचिव को होगा, जो कि अनुबंधित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगी।
46. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर समुचित शास्त्रित आरोपित करने का अधिकार बोर्ड प्रशासन को होगा तथा पुनरार्वृत्ति करने अथवा शर्तों के निरन्तर उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार सचिव को होगा।
47. विभागाध्यक्ष/सचिव किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या निविदा को स्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा।
48. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर समुचित शास्त्रित आरोपित करने का अधिकार बोर्ड प्रशासन को होगा तथा पुनरार्वृत्ति करने तथा शर्तों के निरन्तर उल्लंघन की स्थिति में ठेका निरस्त करने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड सचिव को होगा। मैंने उपरोक्तानुसार वर्णित सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है। मैं उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील

**Signature valid**

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## **Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

### **Conflict of Interest**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

**Signature valid**  
Digitally signed by Bhag Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## **Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

### **Signature valid**

Digitally signed by Biraj Chand  
Badhal  
Designation Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## **Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is **The Chairman, RSSB jaipur.**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **The Principal secretary/Secretary to Govt. DOP, Jaipur.**

**(1) Filling an appeal:** If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases:** No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

### **(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

### **(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

### **(7) Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -

- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) pursue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Signature valid**

Digitally signed by Bhag Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.08 10:59:14 IST  
Reason: Approved

**FORM NO. 1**  
**[See rule 83]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No. .... of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent (s):**

- (i)
- (ii)
- (iii)

**3. Number and date of the order appealed against**

And name and designation of the officer/authority  
Statement of a decision, action or omission of  
The procuring Entity in contravention to the provisions  
Of the Act by which the appellant is aggrieved:

**4. If the Appellant Proposes to be representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:**

**1. Ground of appeal:**

.....  
.....  
..... (Supported by an affidavit)

**2. Prayer:**

.....  
.....  
.....

Place.....

Date.....

**Signature valid**

Digitally signed by  Dinesh Chandra  
Badhai  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.08 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## **Annexure D: Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### **3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods):** As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**Signature valid**

Digitally signed by Bhag Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.06 10:59:14 IST  
Reason: Approved

**Form B**  
**Format of Affidavit**  
**(See clause 11)**

I ..... S/o ..... Aged.....  
Yrs. .... residing at .....  
Proprietor/Partner/ Director of M/s ..... do  
hereby solemnly affirm and declare that:

(a) My/Our above noted enterprises M/s ..... has  
been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part – II by the District  
Industries Center ..... The acknowledgement No. is .....  
Dated..... And has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	

- (b) My/ Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part – II has not  
been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprises is  
regularly manufacturing the above items.
- (c) My/Our enterprises is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped  
to manufacture the above items.

Place \_\_\_\_\_

Signature of  
Proprietor/Director Authorized  
Signatory with Rubber Stamp and  
date

Note: If the cost of Items to be procured/hired exceeds Rs. 100000/- (Rupees One Lakh), the  
Procuring Entity would be required to have the production unit inspected to satisfy itself of the  
production capacity and that the quality control measures are intact.

**Signature valid**

Digitally signed by Bhag Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.07 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित सुरक्षा सेवा के सामने दर्शायी गयी अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
  - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-{01} में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-{01} के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
  - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
  - Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
  - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
  - Department (Rajasthan Sub-ordinate & Ministerial Service Selector Board हेतु विभागीय कोड 223 एवं ऑफिस Rajasthan Staff Selection Board आई.डी.-32297) का चयन करें।
  - चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
  - Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाईट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल ([egras.rajasthan.gov.in](http://egras.rajasthan.gov.in)) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में मूल प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज ही मान्य होंगे। ऑनलाईन निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141-4022688, 0120-4711-508, 0120-4001-002 पर सम्पर्क करें।

निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया	1. निविदा प्रपत्र शुल्क – 0075-00-800-(52)-{01} 2. अमानत राशि/प्रतिभूति जमा – 8443-00-103-00-00 3. प्रोसेसिंग शुल्क – 8658-00-102-(16)-{01} (सिविल विभाग) विभागीय कोड – 223 ऑफिस आई.डी. – 32297 कार्यालय – राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर लोकेशन – जयपुर
---	--

**Signature valid**

Digitally signed by Brig Chand  
Badhai  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समरप्त कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील

निविदादाता का नाम :—

पूर्ण पता :—

टेलिफोन नं.:

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.06 10:59:14 IST  
Reason: Approved

सचिव,  
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,  
जयपुर।

विषय :— निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा **Heavy Duty Printer cum Photostat, HDD/SDD** क्रय हेतु जारी ई-निविदा सूचना (..... / .....) के क्रम में मेरी/हमारी फर्म द्वारा उक्त निविदा में भाग लिया है, जिसमें निम्नलिखित राशि/दस्तावेज इत्यादि निविदा के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	विवरण	e-Challan No / UPI Payment	दिनांक	बैक नाम
1.	निविदा शुल्क राशि रु. 1000/- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर			
2.	निविदा प्रसंस्करण शुल्क राशि रु. 500/- प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 48,700/- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर			

- मैं/हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए बाध्य होगें।
- इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं/हम एतदद्वारा (एनेक्चर-ए से जी तक) के साथ ही विधिवत मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं। मैं/हम मेरे/हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं।
- मेरे द्वारा संलग्न सभी दस्तावेज सही/सत्य हैं असत्य पाये जाने पर विभाग कानूनी कार्यवाही करनें के लिये स्वतंत्र हैं।
- हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

दिनांक:—

हस्ताक्षर

स्थान:—

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम मय सील)

फर्म/एजेंसी का नाम

पता:

Signature valid

Digitalized by Binay Chand  
Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved

## TECHNICAL SPECIFICATIONS HEAVY DUTY PRINTER CUM PHOTOSTAT

No.	Features	Specifications Required
1	Minimum Speed per Minute in A4 Size	45 PPM or Above
2	Minimum Speed per Minute in A3 Size	26 PPM or Above
3	Control Panel Display	10.1-inch Color LCD Touchscreen
4	Cartridge Technology	Separate Drum and Toner
5	Network Interface	USB 2.0, USB 3.0, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T
6	Scanning Feature Availability	Yes
7	Duplexing Feature Availability	Yes
8	Networking Feature	Yes
9	Wi-Fi Availability	Yes
10	RAM	4 GB or Above
11	HDD/SSD	500 GB SSD or Above
12	Number of Tray	4 or more with Floor Stand
13	Tray Capacity (Number)	500 Sheets in Each or More
14	Bypass Facility	Yes
15	Bypass Tray Capacity	100 Sheets or More
16	Energy Star 3.0 or More	Yes
17	Automated Scanning	Yes
18	OEM Authorization	Yes (Bid Specific)
19	Toner Yield	40000 Copies or Above
20	Drum Yield	3.0 Lac Copies or Above
21	Duty Cycle	170000 Per Month or Above
22	On Site OEM Warranty	As per OEM
23	Certification	ROHS, BIS, EPR & CE
24	Print Resolution	1200X1200 DPI or Above
25	SPDF	Yes, Capacity 100 Sheets or Higher
26	Paper Out	500 or Above in Each
27	GSM	70 GSM or Above
28	Print Features	Bidirectional Real Time, Status, Encrypted Secure Print, Print from USB, Mobile
29	Concurrency	Printing & Scanning, Both Work Simultaneously.

Signature valid

Digitally signed by Brag Chand  
 Badhal  
 Designation : Secretary  
 Date: 2025.03.06 10:59:14 IST  
 Reason: Approved



## Annexure - G

फर्म का नाम : .....  
 (कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,  
 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

### वित्तीय निविदा प्रपत्र

Rate Contract of Heavy Duty Printer cum Photostat & HDD/SDD for Office use के लिये निविदा

निविदा सूचना संख्या ..... के क्रम में अनुमानित राशि 24.35 लाख तक के लिए हमारी दरें निम्नानुसार हैं:-

Sr. No.	Item Description	No. of Items	Mak e	Rate Per Pcs. (Inclusive of All taxes) (In Rs.)	Total Cost in Rs. (Including Freight Charges)
1	<b>Heavy Duty Printer cum Photostat:</b> 45 PPM or Higher A4, 26 PPM or Higher A3, Separate Drum and Toner, 500 GB SSD or Above, RAM 4 GB or Higher, 4 or More Tray with Floor Stand 500 Sheets in Each or More, Bypass Tray 100 Page or More, Duty Cycle 170000 Per Month or above <u>Full Specification Annexure-F</u>	06			
2	<b>Portable HDD 2 TB</b>	02			
3	<b>Portable SSD 1 TB</b>	02			

नोट :-

दर ऑनलाइन दिये गये टेन्डर के BOQ में प्रस्तुत करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील

**Signature valid**

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation : Secretary  
Date: 2025.03.03 10:59:14 IST  
Reason: Approved